

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम- छपरा एवं पूर्णियाँ।

कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर परिषद्- दाउदनगर, ढाका, मधुबनी, गोपालगंज, खगड़िया, लखीसराय, मसौढ़ी, दानापुर,
जहानाबाद, भभुआ, औरंगाबाद, रक्सौल एवं बख्तियारपुर।

पटना, दिनांक- 13.04.19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में संविदा के आधार पर नियुक्त/कार्यरत कुल 15 नगर प्रबंधकों को प्रति माह ₹32,870.00 (बत्तीस हजार आठ सौ सत्तर रु०) मात्र की दर से मानदेय की राशि के भुगतान हेतु कुल ₹29.25430 लाख (उनतीस लाख पचीस हजार चार सौ तीस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों में संविदा के आधार पर नियुक्त एवं वर्तमान में पदस्थापित/कार्यरत 15 नगर प्रबंधकों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्न तालिका के स्तम्भ- 5 में अंकित माहों की संख्या के अनुसार मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹29.25430 लाख (उनतीस लाख पचीस हजार चार सौ तीस रु०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०-123, दिनांक-13.04.19 के आलोक में सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित किया जाता है :-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	नगर प्रबंधक	कार्यरत नगर प्रबंधकों की संख्या	एक माह का मानदेय	मानदेय दिये जाने की माह की संख्या	आवंटित मानदेय की राशि (4*5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, छपरा	1	32,870.00	6	1,97,220.00
2	नगर निगम, पूर्णियाँ	1	32,870.00	6	1,97,220.00
योग (क)					3,94,440.00
3	नगर परिषद्, दाउदनगर	1	32,870.00	8	2,62,960.00
4	नगर परिषद्, ढाका	1	32,870.00	8	2,62,960.00
5	नगर परिषद्, मधुबनी	1	32,870.00	8	2,62,960.00
6	नगर परिषद्, गोपालगंज	1	32,870.00	8	2,62,960.00
7	नगर परिषद्, खगड़िया	1	32,870.00	8	2,62,960.00
8	नगर परिषद्, लखीसराय	1	32,870.00	8	2,62,960.00
9	नगर परिषद्, मसौढ़ी	1	32,870.00	8	2,62,960.00
10	नगर परिषद्, दानापुर	1	32,870.00	6	1,97,220.00
11	नगर परिषद्, जहानाबाद	1	32,870.00	6	1,97,220.00
12	नगर परिषद्, भभुआ	1	32,870.00	3	98,610.00
13	नगर परिषद्, औरंगाबाद	1	32,870.00	2	65,740.00

14	नगर परिषद्, रक्सौल	1	32,870.00	2	65,740.00
15	नगर परिषद्, बख्तियारपुर	1	32,870.00	2	65,740.00
				योग (ख)	25,30,990.00
				कुल योग (क+ख)	29,25,430.00

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹29.25430 लाख (उनतीस लाख पचीस हजार चार सौ तीस रु०) मात्र।

- विभागीय आदेश सं०- 1335, दिनांक- 27.02.2017 द्वारा नगर प्रबंधकों के मासिक मानदेय को ₹30,300.00 (तीस हजार तीन सौ रु०) से बढ़ाकर ₹32,870.00 (बत्तीस हजार आठ सौ सतर रु०) कर दिया गया है। बढ़े हुए दर से मानदेय का भुगतान मार्च, 2017 से किया जा रहा है।
- आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित नगर निकाय (नगर निगम एवं नगर परिषद्) के संबंधित नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत नगर प्रबंधक को एकाउन्टपेयी चेक द्वारा अवधि विस्तार की तिथि तक का ही भुगतान किया जायेगा।
- राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।
- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998, एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।
- चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
- वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
- उक्त आवंटित राशि ₹29.25430 लाख (उनतीस लाख पचीस हजार चार सौ तीस रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी :-

(क) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 01 से 02 के स्तम्भ- 6 में अंकित कुल राशि ₹3.94440 लाख (तीन लाख चौरानवे हजार चार सौ चालीस रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को

4

सहायता, उप शीर्ष- 0015-नगर प्रबंधको हेतु, विषय शीर्ष- 0015.31.04-सहायक अनुदान-वेतन, विपत्र कोड सं०- 48-2217801910015 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी। इस राशि का व्यय संबंधित नगर निगमों में पदस्थापित नगर प्रबंधकों के मानेदय भुगतान पर किया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 03 से 15 के स्तम्भ- 6 में अंकित कुल राशि ₹25.30990 लाख (पचीस लाख तीस हजार नौ सौ नब्बे रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उप शीर्ष- 0008-नगर प्रबंधको हेतु, विषय शीर्ष- 0008.31.04- सहायक अनुदान-वेतन, विपत्र कोड सं०- 48-2217801920008 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी। इस राशि का व्यय संबंधित नगर परिषदों में पदस्थापित नगर प्रबंधकों के मानेदय भुगतान पर किया जाएगा।

9. राशि की निकासी एवं व्यय का अनुपालन प्रतिवेदन अथवा प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2019 तक अनिवार्य रूप से नगर विकास एवं आवास विभाग में प्राप्त करा देना होगा।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

11.02.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/गै०यो०-19-03/2012 78 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-11.02.19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/नगर प्रबंधक, संबंधित नगर निकाय/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई०मेल करने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार, पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

11.02.19

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 19.11.19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में संविदा के आधार पर नियुक्त/कार्यरत कुल 15 नगर प्रबंधकों को प्रति माह ₹32,870.00 (बत्तीस हजार आठ सौ सत्तर रु०) मात्र की दर से मानदेय की राशि के भुगतान हेतु कुल ₹29.25430 लाख (उनतीस लाख पचीस हजार चार सौ तीस रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों में संविदा के आधार पर नियुक्त एवं वर्तमान में पदस्थापित/कार्यरत 15 नगर प्रबंधकों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्न तालिका के स्तम्भ- 5 में अंकित माहों की संख्या के अनुसार मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹29.25430 लाख (उनतीस लाख पचीस हजार चार सौ तीस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

क्र० सं०	नगर प्रबंधक	कार्यरत नगर प्रबंधकों की संख्या	एक माह का मानदेय	मानदेय दिये जाने की माह की संख्या	(राशि रुपये में) स्वीकृत मानदेय की राशि (4*5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, छपरा	1	32,870.00	6	1,97,220.00
2	नगर निगम, पूर्णियाँ	1	32,870.00	6	1,97,220.00
योग (क)					3,94,440.00
3	नगर परिषद, दाउदनगर	1	32,870.00	8	2,62,960.00
4	नगर परिषद, ढाका	1	32,870.00	8	2,62,960.00
5	नगर परिषद, मधुबनी	1	32,870.00	8	2,62,960.00
6	नगर परिषद, गोपालगंज	1	32,870.00	8	2,62,960.00
7	नगर परिषद, खगड़िया	1	32,870.00	8	2,62,960.00
8	नगर परिषद, लखीसराय	1	32,870.00	8	2,62,960.00
9	नगर परिषद, मसौढ़ी	1	32,870.00	8	2,62,960.00
10	नगर परिषद, दानापुर	1	32,870.00	6	1,97,220.00
11	नगर परिषद, जहानाबाद	1	32,870.00	6	1,97,220.00
12	नगर परिषद, भभुआ	1	32,870.00	3	98,610.00
13	नगर परिषद, औरंगाबाद	1	32,870.00	2	65,740.00
14	नगर परिषद, रक्सौल	1	32,870.00	2	65,740.00
15	नगर परिषद, बख्तियारपुर	1	32,870.00	2	65,740.00
योग (ख)					25,30,990.00
कुल योग (क+ख)					29,25,430.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹29.25430 लाख (उनतीस लाख पचीस हजार चार सौ तीस रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

2. विभागीय आदेश सं०- 1335, दिनांक- 27.02.2017 द्वारा नगर प्रबंधकों के मासिक मानदेय को ₹30,300.00 (तीस हजार तीन सौ रु०) से बढ़ाकर ₹32,870.00 (बत्तीस हजार आठ सौ सतर रु०) कर दिया गया है। बढ़े हुए दर से मानदेय का भुगतान मार्च, 2017 से किया जा रहा है।
3. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित नगर निकाय (नगर निगम एवं नगर परिषद्) के संबंधित नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत नगर प्रबंधक को एकाउन्टपेयी चेक द्वारा अवधि विस्तार की तिथि तक का ही भुगतान किया जायेगा।
4. **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**
5. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998, एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।
6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
7. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
8. उक्त स्वीकृत राशि ₹29.25430 लाख (उनतीस लाख पचीस हजार चार सौ तीस रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी :-

(क) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 01 से 02 के स्तम्भ- 6 में अंकित कुल राशि ₹3.94440 लाख (तीन लाख चौरानवे हजार चार सौ चालीस रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष- 0015-नगर प्रबंधको हेतु, विषय शीर्ष- 0015.31.04-सहायक अनुदान-वेतन, विपत्र कोड सं०- **48-2217801910015** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से

की जाएगी। इस राशि का व्यय संबंधित नगर निगमों में पदस्थापित नगर प्रबंधकों के मानेदय भुगतान पर किया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 03 से 15 के स्तम्भ- 6 में अंकित कुल राशि ₹25.30990 लाख (पच्चीस लाख तीस हजार नौ सौ नब्बे रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उप शीर्ष- 0008-नगर प्रबंधको हेतु, विषय शीर्ष- 0008.31.04- सहायक अनुदान-वेतन, विपत्र कोड सं०- **48-2217801920008** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी। इस राशि का व्यय संबंधित नगर परिषदों में पदस्थापित नगर प्रबंधकों के मानेदय भुगतान पर किया जाएगा।

9. राशि की निकासी एवं व्यय का अनुपालन प्रतिवेदन अथवा प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2019 तक अनिवार्य रूप से नगर विकास एवं आवास विभाग में प्राप्त करा देना होगा।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/गै०यो०-19-03/2012 के पृष्ठ सं०-125/टि० पर दिनांक-8.2.19 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-125/टि० पर दिनांक-8.2.19 को प्राप्त है।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. इसकी सूचना संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद्/कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/गै०यो०-19-03/2012 123 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-12.2.19

प्रतिलिपि:- संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद्/नगर प्रबंधक, संबंधित नगर निकाय/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई०मेल करने एवं विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार, पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

सरकार के विशेष सचिव।